निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 86 / 2024
दायरा दिनांकः—15.10.2024
निर्णय दिनांकः— 2.4.25

उनवान

1. रमेश आयु 46 वर्ष पुत्र रामरतन जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामरतन आयु 60 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. प्रकाश पुत्र रामरतन जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. इन्द्रसिंह पुत्र रामरतन जाति लोधा निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. भू—आवाप्ति अधिकारी बारां जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्से तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 2.4.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री उमाशंकर गोस्वामी — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 86 के खसरा नम्बर 318/2 की रकबा 0.1138 है०, खसरा नम्बर 319/3 की रकबा 0.1614 है० एंव खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 317 की रकबा 0.0126 है० खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 342 की रकबा 1.4289 है0, खसरा नम्बर 413 की रकबा 0.1138 है। खसरा नम्बर 414 की रकबा 0.5690 है० खसरा नम्बर 415 की रकबा 1.0242 है० एंव खाता संख्या 5 की खसरा नम्बर 351 की रकबा 0.1517 है०, एंव खाता संख्या 82 की खसरा नम्बर 1/4 की रकबा 0.6323 है० एंव खाता संख्या 70 की खसरा नम्बर 28/235 की रकबा 1.5174 है० आराजी स्थित है जिसमे खाता संख्या 70 व खाता संख्या 82 की आराजी ग्राम अमीनपुरा में स्थित है। जबकि शेष आराजी ग्राम पटना में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी के दादाजी मोतीलाल के खातेदारी की आराजी है। मोतीलाल जी मृत्यु के बाद विवादित आराजी रामरतन के खाते दर्ज हुई। इस तरह विवादित आराजी पैतृक आराजी है

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आराजी होने के कारण विवादित आराजी पर प्रार्थी एव अप्रार्थीगण का बराबर हक व हिस्सा कानूनन है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 2 ता 3 के माता पिता रामरतन व सम्पतबाई अलग रहकर अपना जीवन निवर्हन कर रहे है। प्रार्थी कम 2 व 3 ने अप्रार्थी कम 1 को इस तरह बरगला रखा है कि वह प्रार्थी से बिना किसी युक्तीयुक्त कारण से प्रार्थी से बोलचाल नही रखते है एंव जमीन का जो भी पैसा आता है। अप्रार्थी कम 2 व 3 को ही देते है। प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई रूपया पैसा नहीं देते है और न ही अन्य किसी प्रकार की कोई सहायता करते है। जबकि प्रार्थी अपने माता पिता के लिए हारी बिमारी एंव अन्य आवश्यकताओ की पूर्ति करने व सहायता करने एंव सेवा करने पर तैयार एव तत्पर रहता है। अप्रार्थी कम 1 ने पैतृक आराजी मे से कुछ हिस्सा स्वयं के जीवन निर्वाह हेतु बचाकर शेष आराजी का प्रार्थी एंव अप्रार्थी कम 2 व 3 के मध्य विभाजन भौतिक रूप से कर दिया है। बाट बराबर कर दिया। जिसका प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण अपने हिस्सो पर काबिज है एव काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान मे मूण्डक्या गांव में अंधेरी नदी पर बांध का निर्माण होना प्रस्तावित है। जिसे हेतु राजस्थान सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने का खाखा तैयार कर लिया है। एंव भूमि अधिग्रहण हेतु सर्वे कर लिया गया है एंव अतिशीघ्र भूमि अधिग्रहण कर संबंधित खातेदार को मुआवजा देना प्रस्तावित है। क्योकि अप्रार्थी कम 1 ता 3 ने आपस मे सलाह मशवरा कर कर मिलीभगत यह तय कर लिया कि क्योकि सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी कम 1 की खातेदारी मे है जिस कारण भूमि अधिग्रहण किये जाने के पश्चात मुआवजा अप्रार्थी कम 1 के नाम भूमि आवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। इस तरह विवादित आराजी का सम्पूर्ण भुगतान अप्रार्थी कम 1 के पक्ष मे हो जायेगा। और अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थी को उसके हिस्से का भुगतान नही करने से प्रार्थी कानूनन अपने दादा की आराजी मे जन्म से अपना अधिकार एंव हक रखता है उससे महरूम हो जावेगा। और प्रार्थी के हक एंव अधिकारो का कानूनन उल्लंघन होगा। प्रार्थी ने अप्रार्थी कम 1 ता 3 को कहा कि या तो आप मुझे आश्वस्त करो कि मुआवजा राशि प्राप्त होने के बाद मुआवजा राशि समान रूप से तीनो भाईयो एंव आपके मध्य विभाजित कर दोगे या फिर मेरे हिस्से की आराजी मेरे खाते दर्ज करवा दो क्योकि दादाजी की जमीन मे मेरा भी बराबर का हक व हिस्सा है किन्तु अप्रार्थी कम 2 व 3 के बहकावे में आकर अप्रार्थी कम 1 ने वादी से स्पष्ट इन्कार कर दिया है कि मैं खातेदार हूँ मेरी मर्जी होगी उसको मुआवजा राशि का भुगतान करूंगा। एंव मेरी मर्जी नहीं होगी। उसको नहीं करूंगा। प्रार्थी द्वारा बहुत मिन्नते करने के बाद भी अप्रार्थी कम 2 व 3 के बहकावे में आ जाने से अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी को मुआवजा राशि के विभाजन हेतु तैयार नही हुये ऐसी सूरत में प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर व अप्रार्थी कम 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से निषिध कराने के अलावा एंव प्रार्थी के हिस्से की आराजी का बंटवारा कराकर स्वयं के हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहा है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 86 नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 77 नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076–79 खाता सख्या 7 नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 5 नकल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बन्दी ग्राम अमीनपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 82 नकल जमाबन्दी ग्राम मीनपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 70 नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 54 नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 57 नकल जामबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 61 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम अमीनपुरा व पटना तहसील छबडा में स्थित है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के दादा मोतीलाल के खातेदारी की थी। मोतीलाल के मरने के बाद मोतीलाल के खाते दर्ज हुई विवादित आराजी पैत्रक आराजी है पैतृक आराजी में प्रार्थी का बराबर हक एवं हिस्सा है प्रार्थी के पिता व माता अलग रहकर अपना पेट पालन कर रहे है प्रार्थी का पिता रामरतन प्रार्थी को रूपये पैसा नही देता है जो पैसा आता है उसको दोनो बेटे प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को दे देता है विवादित आराजी को अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के मध्य कर रखा है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 व 3 काश्त करते चले आ रहे है वर्तमान में बांध का निर्माण होने वाला है जो भी रूपया मुआवजें का प्राप्त होगा उसे अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 आपस में बांट लेने। क्योकि मुआवजा राशि का भुगतान खातेदार अप्रार्थी क्रम 1 को किया जायेगा। प्रार्थी कानूनन अपने दादा मोती की आराजी मे अपना हक प्राप्त करने का अधिकारी है यदि प्रार्थी का मुआवजा राशि उसके हिस्से अनुसार नही दी गई तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पटना तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 86 में रामरतन पुत्र मोतीलाल का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 77 में अप्रार्थी क्रम 1 रामरतन का हिस्सा 1/6 दर्ज है खाता संख्या 7 में अप्रार्थी क्रम 1 रामरतन का हिस्सा 1/12 खाता संख्या 5 में हिस्सा 1/12 दर्ज है ग्राम अमीनपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 82 में अप्रार्थी क्रम 1 रामरतन का नाम दर्ज है खाता संख्या 70 में हिस्सा 1/12 दर्ज है नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम पटना सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 54 में किशना व मोती आ0 शोबक्स खाता संख्या 57 में मोती पुत्र शोबक्स एवं खाता संख्या 61 में हरल्या व मोती व विशना धन्ना पुत्र शोबक्स का नाम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी के दादा मोती के खातेदारी की थी। जो पैत्रक सम्पति है प्रार्थी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी क्रम 1 को ता फैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम पटना तहसील छबडा के खसरा नम्बर 318/2 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

8 है खसरा नम्बर 319/3 रकबा 0.1644 है0 खसरा नम्बर 317 रकबा 0.0126 है0 खसरा नम्बर 342 रकबा 1.4289 है0 खसरा नम्बर 413 रकबा 0.1138 है0 खसरा नम्बर 414 रकबा 0.5690 है0 खसरा नम्बर 415 रकबा 1.0242 है0 खसरा नम्बर 351 रकबा 0.1517 है0 एवं ग्राम अमीनपुरा के खसरा नम्बर 1/4 रकबा 0.6323 है0 खसरा नम्बर 28/235 रकबा 1.5124 है0 भूमि पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)